फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

सुमेरसिंह **बनाम** लाखसिंह वगैरह

राजस्व अपील संख्या.....20.....सन.....2023

किस्म मुकदमा .....225.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
22.03.2023	यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 19/2023 मे पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। जावे। वकील अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर वकील अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजीयात ग्राम केशवाणा पटवार हल्का केशवणा तहसील व जिला जालोर के खसरा नंबर 1357, 1367/1492 रकबा 5.02 हैक्टेर के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये जाने का आदेश पारित कर आगामी पेशी दिनांक 18.04.2023 नियत की गई है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टगण की सामलाती खातेदारी आराजी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत आदेश पारित न करने के कारण रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी का बंटवाडा करवाये बिना आगे बेचान करने पर आमादा है, अगर वे ऐसा करने मे कामयाब हो गये तो इससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी। अत वादग्रस्त आराजी पर मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे। राजस्व अपील प्राधिकारी पाली	

अपीलांट अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से यह दृष्टिगत होता है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कें तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजीयात ग्राम केशवाणा पटवार हल्का केशवणा तहसील व जिला जालोर के खसरा नंबर 1357, 1367/1492 रकबा 5.02 हैक्टेर के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिसके अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 16.03.2023 के अन्तर्गत यह अंकन किया गया है कि **यह राजस्व प्रार्थना पत्र को प्रार्थी स्वंय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जो दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगणो की तलबी के नोटिस तलबाना जारी हो तलब होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 18.04.2023 को पेश हो**। उक्त आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, जिसके विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष उक्त अपील पोषणीय हो।

किन्तु अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी के संबध मे जमाबंदी संवत 2072–2075 प्रस्तुत की गई है। उक्त जमाबंदी के अनुसार अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त के सामलाती रेकर्डेड खातेदार है। वादग्रस्त आराजी के संबध मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बंटवाडे का मूल वाद विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत लगभग 01 माह की पेशी दी गई है। उक्त अवधि के दौरान बिना बंटवाडा करवाये अगर किसी भी पक्षकार द्वारा वादग्रस्त आराजी का विशिष्ट हिस्सा बेचान किया जाता है तो इससे निश्यय ही वाद बाहुल्यता बढेगी, जिसे रोका जाना न्यायिक दृष्टि से अतिआवश्यक है।

अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील उक्त अपील विधिसम्मत आदेश के विरूद्ध नहीं होने के फलस्वरूप ग्राहयता के स्तर पर खारिज की जाती है। प्रकरण मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी के आधार पर न्यायहित को मद्देनजर रखते हुए आदेश दिया जाता है कि उभयपक्ष हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी ग्राम केशवाणा पटवार हल्का केशवणा तहसील व जिला जालोर के खसरा नंबर 1357, 1367/1492 रकबा 5.02 हैक्टेर पर मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। सहायक कलक्टर जालोर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी से संबधित आपके न्यायालय मे विचाराधीन अस्थाई निषेधाज्ञा के राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 19/2023 के अन्तर्गत उभयपक्षो को सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान करते हुए 6 माह के भीतर विधिसम्मत आदेश पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली